FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (

पतली बनाम छोटी

नं. 35/2022 सन्

किस्म मुकदमा दावा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
2-4-23 मुरलीधर (वादी) प्रतिवादी ग्यारसीलाल	पत्रावली पेश हुई। वजुमान उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री फूलचन्द आमीता RS ने इकबाली जवाब दावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण साक्ष्य में वादी संख्या 1 मुरलीधर पुत्र मालूराम का व प्रतिवादीगण साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 2 ग्यारसीलाल पुत्र प्रभात का लिखितशुदा मुख्य शपथ पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते पेश होने अग्रिम कार्यवाही दिनांक 28-4-23 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
28/04/23	प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के कैम्प कोर्ट अरणीया में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी पक्षों के मध्य [illegible] राजीनामा करने हेतु वकील वादी [illegible]। दोनों पक्षों में भाईचारा की भावना से करवाने हेतु समझाइश की गई। जिससे दोनों पक्षों ने आपसी भाईचारा कायम रखने के क्रम में अपनी अपनी सहमती प्रदान कर आदेशीका पर लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

फलावड़ी बनाम हरदेवी

दावा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	28/6/2023 प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023	
तुलसी मुरलीधर रामलाल	हस्ताक्षर किये जिनकी पहचान वकील वादी द्वारा की गई। लोक अदालत की भावना के आपसी सहमति के आधार पर दावा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में दावा बाबत बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। विपिन [illegible] प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 उपखण्ड अधिकारी- श्रीमाधोपुर पंचायत समिति- श्रीमाधोपुर	[illegible] रजिस्टर्ड

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:02 IST
Reason: SelfAttested

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान, कैम्पः–अरनियां</u>

<u>पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)</u>

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
85 / 2022	2022 / 201	11.07.2022	28.04.2023

उनवान प्रकरण

1. पतासी देवी पत्नी साधूराम आयु 70 वर्ष
2. तुलाराम पुत्र साधूराम आयु 48 वर्ष
3. रामलाल पुत्र साधूराम आयु 40 वर्ष
4. मुरलीधर पुत्र साधूराम आयु 38 वर्ष
5. कमली पुत्री साधूराम आयु 35 वर्ष

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी नाड़ी खूणी तन् ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—वादीगण—

बनाम्

1. छोटी देवी पत्नी प्रभात आयु 70 वर्ष
2. ग्यारसीलाल पुत्र प्रभात आयु 42 वर्ष
3. सीताराम पुत्र प्रभात आयु 50 वर्ष

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी नाड़ी खूणी तन् ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:02 IST
Reason: SelfAttested

28/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

4. शाखा प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

5. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

---प्रतिवादीगण---

उपस्थितः–

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री रिछपाल सिंह बाजिया, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से।

वादपत्र बाबत घोषणा, बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 88, 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2338 रकबा 0.30 है0 एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 1780, 1781, 1785, 1819, 1825, 2336, 2354, 2356 कुल किता 8 कुल रकबा 6.35 है0 तन् ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में स्थित हैं। उक्त वर्णित भूमियां पक्षकारान की पैतृक भूमियां है। जो पूर्व में छोटू वल्द गंगा के नाम वरवक्त प्रथम सैटलमेन्ट रही हैं। छोटू की मृत्युपरान्त सजरा खानदान के मुताबिक प्रभात, भूरा, जगन्नाथ के नाम जरिए विरासत दर्ज हुयी है। प्रभात की मृत्यु होने पर उसके वारिस प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम खातेदारी दर्ज हुयी हैं तथा भूरा की मृत्यु होने पर उसके पुत्र साधूराम व पत्नी सेडी देवी के नाम खातेदारी दर्ज होकर साधूराम व सेडी देवी का स्वर्गवास हो चुका हैं। जिनके वारिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:02 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादीगण नम्बर 1 ता 5 हैं। खातेदार जगन्नाथ पुत्र छोटू अविवाहित फौत हो चुका हैं। इस कारण उक्त जगन्नाथ के वारिस उसके भाई प्रभात व भूरा के वारिस ही उसकी सम्पति के मुताबिक सजरा खानदान विधिक वारिस हैं। इसी अनुसार उक्त वर्णित भूमियां मौके पर अर्सा करीबन 20–25 वर्ष पूर्व ही वादीगण के पिता स्व0 साधूराम व प्रतिवादीगण के पति व पिता प्रभात दोनो भाईयों ने अपने – अपने हक हिस्से अनुसार भूमियां का अलग – अलग बंटवारा कर मौके पर बाह्मी बंटवारा कर लिया था। उक्त बंटवारा अनुसार भूमि खसरा नम्बर 2338 रकबा 0.30 है0 में से हिस्सा 2/3 अर्थात 0.20 हैक्टर व ख0 न0 2336 रकबा 1.22 है0, ख0 न0 2354 रकबा 1.05 है0, ख0 न0 2356 रकबा 2.12 है0 कुल रकबा 4.39 है0 का हिस्सा 2/3 अर्थात 2.9267 है0+ 0.20 है0 कुल 3.12 वादीगण व ख0 न0 2338 में से शेष 1/3 रकबा 0.10 है0 व भूमि ख0 न0 1780 रकबा 0.09 है0 सम्पूर्ण ख0 न0 1781 रकबा 0.64 है0 सम्पूर्ण व ख0 न0 1785 रकबा 0.50 है0 सम्पूर्ण ख0 न0 1819 रकबा 0.19 है0, सम्पूर्ण ख0 न0 1825 रकबा 0.54 है0 सम्पूर्ण कुल 0.09 + 0.64 + 0.50 + 0.19 + 0.54 कुल 1.96 है0 व ख0 न0 2336, 2354, 2356 कुल रकबा 4.39 है0 में से हिस्सा 1/3 अर्थात् 1.4633 है0 इस प्रकार कुल 0.10 + 1.96 + 1.4633 कुल 3.5233 है0 भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के पिता व पति प्रभात के हक हिस्से व बंटवारे में आयी हुयी हैं। इसी अनुसार पक्षकारान मौके पर वरवक्त बाह्मी बंटवारे के समय से पूर्णतया काबिज काश्त चले आकर वर्तमान में भी इसी अनुसार काबिज काश्त हैं। इसी अनुसार पक्षकारान को उपरोक्तानुसार खातेदारी दर्ज कराने के विधिक रूप से अधिकारी हो चुके हैं तथा इसी अनुसार वादीगण अपने–अपने बंटवारे में आयी हुयी भूमियों पर अलग–अलग खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी हैं। पक्षकारान आपस में एक ही परिवार के होने के कारण आपस में मधुर संबंध शुरु से चले आ रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:02 IST
Reason: SelfAttested

20/04/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

है। आपस में कभी भी कोई मनमुटाव व अनबन नहीं रही है तथा भूमियों पर अलग–अलग बंटवारा अनुसार भूमियों का अलग–अलग ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इस कारण पूर्व में उक्त भूमियों को अलग–अलग खातेदारी दर्ज कराने बाबत् कोई चाराजोही नही की गयी परन्तु वर्तमान समय में जमीनों की बढती हुयी कीमतो को देखकर हर व्यक्ति के मन में बेइमानी आना मुनासिब हैं। इसी कारण भूमियों का अलग–अलग कब्जे काश्त व पूर्व बंटवारा अनुसार अलग–अलग खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित हैं ताकि आगे चलकर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। वादीगण के पिता ने प्रतिवादीगण को पूर्व में भूमियों में बंटवारा कराकर अलग–अलग खातेदारी दर्ज कराने बाबत कहां तो हां करते रहे व टालते रहे परन्तु वादीगण के पिता की अकस्मात मृत्यु हो जाने के बाद वादीगण ने प्रतिवादीगण इस बाबत् बात की तो वे आनाकानी करने लग गये। वादीगण ने वादपत्र इस्तकरार हक इस आशय का फरमाये जाने का निवेदन किया है कि तन् ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 भूमि ख0 न0 2338 रकबा 0.30 है0 एवं भूमि ख0 न0 1780, 1781, 1785, 1819, 1825, 2336, 2354, 2356 कुल किता 8 कुल रकबा 6.35 है0 में मृतक जगन्नाथ पुत्र छोटूराम के नाम दर्ज भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बंटवारा अनुसार भूमि ख0 न0 2338 रकबा 0.30 है0 में से हिस्सा हिस्सा 2/3 अर्थात 0.20 है0 व ख0 न0 2336 रकबा 1.22 है0, ख0 न0 2354 रकबा 1.05 है0, ख0 न0 2356 रकबा 2.12 है0 कुल रकबा 4.39 है0 का हिस्सा 2/3 अर्थात 2.9267 है0 + 0.20 है0 कुल 3.1267 वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावें व ख0 न0 2338 में से शेष 1/3 रकबा 0.10 है0 व भूमि ख0 न0 1780 रकबा 0.09 है0 सम्पूर्ण, ख0 न0 1781 रकबा 0.64 है0 सम्पूर्ण व ख0 न0 1785 रकबा 0.50 है0 सम्पूर्ण ख0 न0 1819 रकबा 0.19 है0 सम्पूर्ण ख0 न0 1825 रकबा 0.54 है0, सम्पूर्ण कुल 0.09 + 0.64 + 0.50 + 0.19 + 0.54 कुल 1.96 है0 व ख0 न0

20/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:02 IST
Reason: SelfAttested

2336, 2354, 2356 कुल रकबा 4.39 है0 मे से हिस्सा 1/3 अर्थात 1.56 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.10 + 1.96 + 1.4633 कुल 3.5233 है0 भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के नाम दर्ज की जावे इसी अनुसार पक्षकारान के हक हिस्से व उपरोक्त बंटवारे अनुसार खातेदारी दर्ज कर पक्षकारान के मध्य हुए बंटवारे बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स उपरोक्तानुसार बंटवारा की डिक्री पारित कर बंटवारा अनुसार खातेदारी अलग–अलग दर्ज कर मुताबिक डिक्री एक–दूसरे के हिस्से से एक–दुसरे का नाम हटाया जाकर उक्त भूमियों से मृतक जगन्नाथ पुत्र छोटूराम का नाम हजफ फरमाया जावें। इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 की ओर से श्री रिछपाल सिंह बाजीया एड0 उपस्थित आये एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री फुलचन्द सामोता एड0 उपस्थित आये एंव इकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण साक्ष्य में वादी मुरलीधर पुत्र साधूराम व प्रतिवादी साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 2 ग्यारसीलाल पुत्र प्रभात के लिखितशुदा शपथ पत्र किये गयें। वकील वादीगण एंव वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादग्रस्त आराजी भूमियों के राजस्व रिकार्ड एंव मौके अनुसार भूमियों की घोषणा व विधिक बंटवारा किये जाने हेतु पक्षकारान् के मध्य लोक अदालत की भावना से [illegible] करवाने हेतु समझाईस की गई। जिससे दोनों पक्षों ने आपसी [illegible] में अपनी–अपनी सहमति प्रदान करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर अंकित किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:02 IST
Reason: SelfAttested

20/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

वकील प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में वादपत्र को स्वीकार करते हुए निर्णय किये जाने हेतु सहमति प्रदान कर दिये जाने से वादपत्र में प्रशासन गांवों के संग अभियान – 2023 के तहत ग्राम पंचायत अरनियां में आयोजित कैम्प कोर्ट अरनियां में पेश होने पर आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया है। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर प्रकरण में उभय पक्षकारान् के मध्य विधिक विभाजन हेतु बनी आपसी सहमति के आधार प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही निर्णय किए जाने हेतु बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2072, भू–प्रबन्ध विभाग रिपोर्ट के अनुसार ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2338 रकबा 0.30 है0 एवं भूमि ख0न0 1780, 1781, 1785, 1819, 1825, 2336, 2354, 2356, कुल किता 8 कुल रकबा 6.35 है0 में मृतक जगन्नाथ पुत्र छोटूराम के नाम दर्ज भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर पक्षकारान् के मध्य हुए बंटवारा अनुसार भूमि खसरा नम्बर 2338 रकबा 0.30 है0 में से हिस्सा 2/3 अर्थात 0.20 है0 व खसरा नम्बर 2336 रकबा 1.22 है0, खसरा नम्बर 2354 रकबा 1.05 है0, खसरा नम्बर 2356 रकबा 2.12 है0 कुल रकबा 4.39 है0 का हिस्सा 2/3 अर्थात 2.9267 है0 + 0.20 है0 कुल 3.1267 हैक्टर की वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावें व खसरा नम्बर 2338 में से शेष 1/3 रकबा 0.10 है0 व भूमि खसरा नम्बर 1780 रकबा 0.09 है0 सम्पूर्ण 0.64 है0 सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1781 रकबा 0.50 है0 सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1819 रकबा 0.19 है0, सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1825 रकबा 0.54 है0 सम्पूर्ण कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:02 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
28/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

0.09 + 0.64 + 0.50 + 0.19 + 0.54 कुल 1.96 है0 व खसरा नम्बर 2336, 2354, 2356 कुल रकबा 4.39 है0 में से हिस्सा 1/3 अर्थात 1.56 है0 इस प्रकार कुल 0.10 + 1.96 + 1.4633 कुल 3.5233 है0 भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के नाम दर्ज किये जाने तथा इसी अनुसार पक्षकारान के हक हिस्से व उपरोक्त बंटवारे अनुसार खातेदारी दर्ज कर पक्षकारान के मध्य हुए बंटवारे अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स उपरोक्तनुसार बंटवारा की डिक्री पारित कर बंटवारा अनुसार खातेदारी अलग–अलग दर्ज कर मुताबिक डिक्री एक–दूसरे के हिस्से से एक–दुसरे का नाम हटाया जाकर उक्त भूमियों से मृतक जगन्नाथ पुत्र छोटूराम का नाम हजफ फरमाया जाने बाबत अपनी–अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर किया जाना प्रकट होता है। जिसके आधार पर प्रकरण में पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एंव बाउण्ड्स विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅगवाया जाना उचित समझते है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में वादीगण एंव प्रतिवादीगण पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों का बाई मिट्स एंव बाउण्ड्स रास्ते की सुविधा का प्रावधान करते हुए कृषि भूमियों का विधिक विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के मध्य सह खातेदारी में दर्ज कृषि भूमियो का विधिक विभाजन किया जाकर पृथक – पृथक खाते कायम किये जाने हेतु वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

28/04/23

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:02 IST
Reason: SelfAttested

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अत: उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है एवं विभाजन आराजीयात को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2338 रकबा 0.30 है0 एवं भूमि ख0न0 1780, 1781, 1785, 1819, 1825, 2336, 2354, 2356, कुल किता 8 कुल रकबा 6.35 है0 में मृतक जगन्नाथ पुत्र छोटूराम के नाम दर्ज भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पक्षकारान् के मध्य हुए बंटवारा अनुसार भूमि खसरा नम्बर 2338 रकबा 0.30 है0 में से हिस्सा 2/3 अर्थात 0.20 है0 व खसरा नम्बर 2336 रकबा 1.22 है0, खसरा नम्बर 2354 रकबा 1.05 है0, खसरा नम्बर 2356 रकबा 2.12 है0 कुल रकबा 4.39 है0 का हिस्सा 2/3 अर्थात 2.9267 है0 + 0.20 है0 कुल 3.1267 हैक्टर की वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावें व खसरा नम्बर 2338 में से शेष 1/3 रकबा 0.10 है0 व भूमि खसरा नम्बर 1780 रकबा 0.09 है0 सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1781 रकबा 0.64 है0 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1785 रकबा 0.50 है0 सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1819 रकबा 0.19 है0, सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1825 रकबा 0.54 है0 सम्पूर्ण कुल 0.09 + 0.64 + 0.50 + 0.19 + 0.54 कुल 1.96 है0 व खसरा नम्बर 2336, 2354, 2356 कुल रकबा 4.39 है0 में से हिस्सा 1/3 अर्थात 1.4633 है0 इस प्रकार कुल 0.10 + 1.96 + 1.4633 कुल 3.5233 है0 भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के नाम दर्ज किये जाने तथा इसी अनुसार पक्षकारान के हक हिस्से व उपरोक्त बंटवारा अनुसार खातेदारी दर्ज कर पक्षकारान के मध्य हुए बंटवारे अनुसार बाई हिस्से एवं उपरोक्तानुसार बंटवारा की डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:02 IST
Reason: SelfAttested

20/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

0.09 + 0.64 + 0.50 + 0.19 + 0.54 कुल 1.96 है0 व खसरा नम्बर 2336, 2354, 2356 कुल रकबा 4.39 है0 में से हिस्सा 1/3 अर्थात 1.4633 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.10 + 1.96 + 1.4633 कुल 3.5233 है0 भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के नाम दर्ज किये जाने तथा इसी अनुसार पक्षकारान के हक हिस्से व उपरोक्त बंटवारे अनुसार खातेदारी दर्ज कर पक्षकारान के मध्य हुए बंटवारे अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स उपरोक्तनुसार बंटवारा की डिक्री पारित कर बंटवारा अनुसार खातेदारी अलग–अलग दर्ज कर मुताबिक डिक्री एक–दूसरे के हिस्से से एक–दुसरे का नाम हटाया जाकर उक्त भूमियों से मृतक जगन्नाथ पुत्र छोटूराम का नाम इजफ फरमाया जाने बाबत अपनी–अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर किया जाना प्रकट होता है। जिसके आधार पर प्रकरण में पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एंव बाउण्ड्स विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवाया जाना उचित समझते है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में वादीगण एंव प्रतिवादीगण पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों का बाई मिट्स एंव बाउण्ड्स रास्ते की सुविधा का प्रावधान करते हुए कृषि भूमियों का विधिक विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के मध्य सह खातेदारी में दर्ज कृषि भूमियो का विधिक विभाजन किया जाकर पृथक – पृथक खाते कायम किये जाने हेतु वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

28/04/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:02 IST
Reason: SelfAttested

पारित कर बंटवारा अनुसार खातेदारी अलग–अलग दर्ज कर मुताबिक डिक्री एक–दूसरे के हिस्से से एक–दुसरे का नाम हटाया जाकर उक्त भूमियों से मृतक जगन्नाथ पुत्र छोटूराम का नाम हजफ किया जाता हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के मध्य बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विधिक विभाजन करवाया जाकर अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावे एंव इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Rathore 28/04/23

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– अरनियां

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान – 2023 के तहत ग्राम पंचायत अरनियां में आयोजित कैम्प कोर्ट अरनियां में मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 28/04/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– अरनियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:02 IST
Reason: SelfAttested